तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्त में
20/5/25	मुन्ना लाल गुप्ता (वादी) वादी के प्रार्थना पत्र पर तलब किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मौजा ग्राम - गोंजाड़ा की भूमि पर बंटवारा वाद के लिये मैसर्स शुभलाभ ग्राम श्रीमती रमता देवी पर एक दिवानी प्रकरण दर्ज कराया गया था जो प्रकरण 16/2024 दर्ज किया जाकर उसकी कार्यवाही न्यायालय श्रीमान में है। उक्त प्रकरण में श्रीमान जी के लिये कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को किसी रूप पर जिस स्थिति में वर्तमान में चल रहा है उसे बन्द करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा किये वकील श्री मेरे सम्पर्क में नहीं रहे न ही उन्होंने मेरी कोई सहायता की। अतः मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को सौहार्द पर बन्द करने की कृपा करावें। वादी के प्रार्थना के आधार पर वादी का प्रकरण खारिज डीप किया जाता है। मुन्ना लाल पारीक पिता स्व. श्री गुप्ता पारीक निवासी ग्राम गोंजाड़ा तह. हैं।	

रेत-मलबा
रेवा